

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2016—कार्तिक 20, शक 1938

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

फा. क्र. 84(09)-चार-2016-उप चु.-300.—भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश क्रमांक 576-3-ई.व्ही.एम.-2016-एस.डी.आर.-वालयूम-I दिनांक 3 नवम्बर 2016 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001
नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर, 2016

निदेश

संख्या 576-3-ई.वी.एम.-2016-एस.डी.आर.-खण्ड-I.—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क में यह उपबधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिये प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; तथा

2. यतः आयोग ने असम में 14-लखिमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 20-बैठालंगसो (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में 45-हयूलिआंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश में 12-शहडोल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 179-नेपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 1-कूच बिहार (अ.जा.), 30-तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं 263-मान्देश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 195-थिरूपारानकुन्दरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 4-बरजला एवं 25-खोवाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पुडुचेरी में 17-नेल्लीथोप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिये पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिये प्रशिक्षित है तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं.

3. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा असम में 14-लखिमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 20-बैठालंगसो (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में 45-हयूलिआंग (अ.ज.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,

मध्यप्रदेश में 12-शहडोल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 179-नेपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 1-कूच बिहार (अ. जा.), 30-तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं 263-मान्देश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 195-थिरूपारानकुन्दरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 4-बरजला एवं 25-खोवाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पुडुचेरी में 17-नेल्लीथोप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर उप-निर्वाचन हो रहे हैं, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 26-10-2016 (बुधवार) को अधिसूचित किए गए लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के वर्तमान उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 3rd November, 2016

DIRECTION

No. 576-3-EVM-2016-SDR-Vol.I.—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. WHEREAS, the Commission has considered the circumstances in 14-Lakhimpur Parliamentary Constituency & 20-Baithalangso (ST) Assembly Constituency in Assam, 45-Hayuliang (ST) Assembly Constituency in Arunachal Pradesh, 12-Shadol (ST) Parliamentary Constituency & 179-Nepanagar(ST) Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 1-Coochbehar(SC) & 30-Tamluk Parliamentary Constituencies in West Bengal, 263-Monteswar Assembly Constituency in West Bengal, 195-Thiruparankundram Assembly Constituency in Tamil Nadu, 4-Barjala & 25-Khowai Assembly Constituencies in Tripura and 17-Nellithope Assembly Constituency in Puducherry, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary/Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. NOW, THEREFORE, the Election Commission of India hereby specifies 14-Lakhimpur Parliamentary Constituency & 20-Baithalangso (ST) Assembly Constituency in Assam, 45-Hayuliang (ST) Assembly Constituency in Arunachal Pradesh, 12-Shadol (ST) Parliamentary Constituency & 179-Nepanagar(ST) Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 1-Coochbehar(SC) & 30-Tamluk Parliamentary Constituencies in West Bengal, 263-Monteswar Assembly Constituency in West Bengal, 195-Thiruparankundram Assembly Constituency in Tamil Nadu, 4-Barjala & 25-Khowai Assembly Constituencies in Tripura and 17-Nellithope Assembly Constituency in Puducherry, as the Constituencies in which the votes at the current bye-elections to the House of the People and State Legislative Assemblies from the said Constituencies notified on 26 October 2016 (Wednesday), shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd./-

(K. F. WILFRED)
Principal Secretary.